Reg. No: 62/UDR/2001-02

मातृत्व सेवा संस्थान

MATRUTVA SEVA SANSTHAN

ANNUAL REPORT 2020-21

Reg. Office :
F-142, Central Area, Reti Stand
Near Awarimata Temple
Udaipur (Raj) 313001

Head Office :
4, Kirti Sadan, Near Sub City Center
Gariyawas,Udaipur (Raj) 313001

Call us:-
8107524366 9783224366

mssansthan@rediffmail.com
mssansthan2001@gmail.com
www.matrutvasevasansthan.org

Follow us :-

मातृत्व सेवा संस्थान, उदयपुर

संस्थान कार्यकारिणी एवं सदस्य सूची

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री चन्द्र प्रकाश सालवी	अध्यक्ष
2.	श्री अरविन्द सालवी	सचिव
3.	श्री योगन्द्र सालवी	कोषाध्यक्ष
4.	श्री राजेश शर्मा	संस्थान सदस्य
5.	श्री भुवनेश मालवी	संस्थान सदस्य
6.	श्री पवन कुमार बैरवा	संस्थान सदस्य
7.	श्री वैभव भावसार	संस्थान सदस्य

संस्थान कार्यक्षेत्रा

जिला – उदयपुर

उदयपुर जिले में गरीब एवं वंचित वर्ग जो ग्रामीण एवं शहर से सटे हुएगांव व कस्बों एवं कच्ची बस्तीयों मे निवास कर रहे है लोगों को लागे लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रयों एवं योजनाओं के माध्यम से जोड़ कर उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए जागरूक करना एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। जिसके तहत मुख्य रूप से महिला विकास के कार्यक्रमोंपर ज्यादा जोर दिया गया है।

तहसील – खैरवाड़ा
(ग्राम पंचायत गड़ावत
गांव – गड़ावत, कलावत गोरिम्बा)
(ग्राम पंचायत किकावत
गांव – आंगलियाँ, घाटा, भैमात, गेहा, सोमावत)
(ग्राम पंचायत लराठी
गांव – पालिया, लराठी, भूदर, पादेड़ी)
तहसील – गिर्वा
(ग्राम पंचायत कलड़वास)
गांव – आम्बा का खादरा, एकलिंगपुरा)
तहसील – मावली
(ग्राम पंचायत बडीयार, गांव – मोरड़ी)
(ग्राम पंचायत सिन्धू, गांव – माण्डूथल)
तहसील – गोगुन्दा
(ग्राम पंचायत–मोडी, गांव –मोड़ी)
(ग्राम पंचायत पाटिया गांव –पाटिया)
(पंचायत समिति–गोगुन्दा)
तहसील – धरियावाद
जिला–राजसमंद एवं चित्तोड़गढ़

संस्थान द्वारा समय–समय परजिला–उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तोड़गढ़ जिल में भी संस्थान अपना कार्य क्षैत्रा बढ़ाने हेतु सर्वप्रथम सर्वे का कार्य कर रही है जिससे वहां के आवश्यकता वाले वर्गो को आगे लाकर उनके लिएविभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया जा सकेजिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवविभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों द्वारा ग्रामीणों एवं शहरी क्षैत्रा की कच्ची बस्तीयों में निवास कर रहे लोगों को सेवा कार्य से लाभान्वित किया जा सकें।

संस्थान परिचय –

मातृत्व सेवा संस्थान, उदयपुर एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संस्थान है, जो राजस्थान सोसायटी एक्ट की धारा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 62/उदय/2001–02 है। संस्थान पिछले 20वर्षो से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रमें मुख्य रूप से कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण, अध्ययन, विश्लेषण एवं अनुभव के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार एवं महिला सशक्तिकरण जैसी गतिविधियों, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने को लेकर लोकहित हेतु प्रयासरत् है।

संस्थान की सोच –

''मातृत्व'' का यहमानना है कि हर व्यक्ति में अपने जीवन के विकास करने की क्षमता छीपी हुई होती है परन्तु जागृति, मार्गदर्शन और प्रेरणा की कमी के कारण वह स्वयं अपनी क्षमताओं का सम्पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यदि जागृति, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा द्वारा इनकी क्षमताओं को अभारा जाएतो इनका विकास सम्भव है

संस्थान के उद्देश्य –

1. पर्यावरण की रक्षा हेतु लोगों में जन चेतना जागृत करने के लिए संगोष्ठियॉ, समारोह, शिविर, सम्मेलन, नुक्कड़, नाटक, प्रदर्शनियां, फिल्म प्रर्दशन, मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम कठपुतली कार्यक्रम आदि कार्यो का संचालन करना।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रा में पिछड़े वर्गो एवं गरिब लोगों की खोज करना तथा इसके उत्थान हेतु दीर्धकालीन योजनाओं को बनाना एवं क्रियान्वयन करना।
3. जिला स्तर पर राज्य स्तर पर पिछड़े एवं गरीब वर्गो हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, अस्थाई आवासीय केन्द्रों की स्थापना करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु गृह उद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तकला, खादी आदि हेतु प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में मदद करना। जिसमें संस्था का कोई लाभ अर्जित करने का कोई उद्देश्य नहीं होगा।
6. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु पिछड़े एवं गरीब वर्गो के स्वास्थ सुधार हेतु स्वास्थ परामर्श केन्द्र चिकित्सा शिविर, चेतना शिविर, चिकित्सा केन्द्रो की स्थापना करना।
7. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु परिवार नियोजन के तरीकों का प्रभावी ढ़ग से लागु करने हेतु जन चेतना जागृत करने का कार्य करना।
8. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु पिछड़े एवं गरीब वर्गों व छात्रों व छात्राओं हेतु उचित शैक्षणिक, आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना।
9. प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकम्प से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना।
10. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु लोगों को अपनी धरती, जल जंगल, संसाधनों को सामुहिक रूप से मिलकर अपनी प्रबन्ध व्यवस्था व संगठन के माध्यम से विकसित करने में सहायता करना।
11. ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु पर्यावरण विकास से सम्बिधित संघन विकास योजनाओं का क्रियान्वयक करना।
12. बैंक सरकारी समिति एवं सरकारी विभागों के साथ समन्वय बिठाने हेतु संबंध स्थापित करना तथा बनने वाली संबंधित विकास योजनाओं में जन भागीदारी को बढ़ावा देना।
13. युवाओं में पर्यावरण के प्रति चेतना बनाने हेतु गांव/तहसील/जिला/राज्य स्तर पर छोटे–छोटे समूहों को तैयार करना ताकि ये समूह पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग दे सके। एवं जन–जन तक अपना संदेश पहूँचा सकें साथ ही अपने भविष्य के प्रति सजग हो सके।
14. जन चेतना संबंधी विकास योजनाओं की जानकारी हेतु पत्रा –पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

15. सामाजिक पर्यावरण सुधार के लिए जन चेतना जागृत करना।

16. उपरोक्त कार्यो हेतु चन्दा करना, सहकारी एवं गैर सरकारी संगठनों और देश–विदेश के समाज सेवी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना।

अ) कम्प्यूटर व कौशल विकास प्रशिक्षण सम्बन्धित –

1. संस्थान द्वारा युवाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सम्बन्धित प्रशिक्षण देना।
2. निःशुल्क टेक्नीकल एज्यूकेशन एवं इन्जीनियरिंग में आये अनुसंधान एवं रिसर्च करना एवं इनकी अधिकारिक जानकारी जनसामान्य को देना।
3. समाज के कमजोर, गरीब एवं पिछडे वर्ग के लोगो को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु संस्था खोलना।
4. अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे समाज सेवी कार्यक्रमों में सहायता देना तथा सहायता लेना।

ब) कला सम्बन्धित –

1. लुप्त हस्तशिल्पीयों/साँस्कृतिक कलाओं के प्रोत्साहन हेतु स्थाई एवं अस्थाई केन्द्रों के लिये स्थान उपलब्ध करवाना एवं विद्यालय की स्थापना करना। निजी सहयोग एवं अन्य राजकीय संस्थानों से अनुदान एवं सहयोग प्राप्त कर भूमि एवं भवन का निर्माण कर उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।
2. जरूरतमंद लोगों को सभी प्रकार की कलाओं जैसे चित्राकला, संगीतकला, नृत्यकला, साहित्य कला एवं आत्मसुरक्षा कलाएं, भारतीय पारम्परिक हस्तकला, शिल्पकला, आदि कलाओं से युक्त कार्यशाला एवं छात्रावास का संचालन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर कार्यक्षेत्रा के अनुरूप परिवेश में ढालना।
3. योग एवं सहजयोग के माध्यम से बच्चे, बडों एवं सभी आयुवर्ग के लोगों में व्यसन, नशेबाजी, मानसिक तनाव, अवसाद, मनोदैहिक विकार एवं कई अन्य प्रकार की मानसिक बिमारीयों को दूर करने का प्रयास करना।
4. ध्यान एवं योग के माध्यम से जीवन में बदलाव हेतु आयोजन।

स) शिक्षा सम्बन्धित –

1. विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, विधि महाविद्यालय, एस्टी. सी., डिग्री कॉलेजो की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, भूमि–भवन आदि की व्यवस्था करना एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों, निजी सहयोग एवं अन्य राजकीय संस्थानों से अनुदान प्राप्त करना।
2. पुस्तकालय, चल पुस्तकालय ऑनलाइन पाठशालाओं की स्थापना करना एवं संचालन करना। चिकित्सकीय, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबन्धकीय संबधित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का संचालन एवं इनमें शोध कार्य करना। कृषि, पशुपालन एवं डेयरी विज्ञान, सौर ऊर्जा एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम विद्यालय एवं महाविद्यालयों का संचालन करना साथ ही फिजियोथैरेपी जनरल नर्सिंग, बी एस सी नर्सिंग, डेन्टल कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज, पेरामेडिकल कॉलेज की स्थापना करना।
3. बी. एड. कॉलेज, आईटी.आई कॉलेज की स्थापना करना व उन कार्यक्रमों का आयोजन कर उनका उत्थान करना उसके लिए कॉलेज चलाना, इंस्टीट्यूट खोलना, प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना एवं उनका संचालन करने हेतु सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों, विदेशी मुद्रा सहयोग राशि, निजी सहयोग एवं अन्य राजकीय संस्थानों से अनुदान एवं सहयोग प्राप्त कर भूमि एवं भवन का निर्माण कर उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।
4. बालकों के सर्वांगिण विकास एवं शिक्षा के प्रचार हेतु प्रारम्भिक स्तर नर्सरी से उच्च स्तरीय तक के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं इसके लिए साधन जुटाना।

5. अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना क्षेत्रा में उनकी प्रतिभा कलाओं एवं खेल कूद की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनका उत्थान करना। इसके लिए कॉलेज संचालन करना, इंस्टीट्यूट खोलना, प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना एवं उनका संचालन करना।

द) वानिकी एवं पर्यावरण सम्बन्धित –

1. भू–संरक्षण एवं लेण्ड स्केप क्षेत्राों में वृक्षारोपण कराना। वन्य जीवों एवं लुप्त प्रजाति जीवों को संरक्षण प्रदान करना। जल आद्रता वाटर शेड के कार्यक्रमों का संचालन करना।
2. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को जुटाना, निर्धूम चूल्हों एवं बायोगैस, सौर ऊर्जा के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना। सौर ऊर्जा से विधुत उत्पादन एवं उससे होने वाले विद्युत खर्च में बचत के बारे में लोगों का जानकारी ।
3. जल संरक्षण (वाटर हार्वेस्टिंग) के लिए लोगों को जागरूक करना एवं प्रोत्साहित करना कि वे वर्षा में व्यर्थ बह जाने वाले जल को संरक्षित कर एवं आपातकालीन स्थिति में किस तरह वे उस जल का सदुपयोग करने का प्रशिक्षण देना।
4. चारागाह एवं बंजर भूमि का विकास करना। लोगों को पेड–पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण दिवस मनाना एवं पर्यावरण शिविर आयोजित करना।
5. कृषि, पशुपालन, गौशाला एवं डेयरी सम्बन्धित कार्यों का संचालन करना। पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन एवं गौरक्षा के लिए वांछित प्रयास करना।
6. कृषकों की, सरकारी (बंजर) व संस्थाओं की अनुपयोगी जमीन को लीज/दान पर लेकर वृक्षारोपण, पार्क स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादी का निर्माण करना।
7. ट्राइफेड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाना। ग्रामीण क्षेत्राों में वनधन योजना को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित करना।
8. केन्द्रीय, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय सरकारी उपक्रमों (नगर निगम, नगर परिषद् पंचायत, ग्राम पंचायत इत्यादि) के द्वारा पोषित सभी तरह की वृक्षारोपण एवं पर्यावरण योजनाओं को क्रियान्वित करना।
9. ग्रामीण स्तर पर सरकारी/गैर सरकारी भूमि पर उद्यान विकसित कर उनका रख रखाव करना।
10. वर्मी कम्पोस्ट एवं कम्पोस्ट पिट्स, अन्य जैविक खाद का निर्माण, वितरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना साथ ही औषधीय एवं फलदायी पौधों की नर्सरी स्थापित करना।
11. नाबार्ड–कपार्ट, सीडा, युनिसेफ, रूडा, सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से दान अनुदान आदि प्राप्त करना एवं इनके साथ कार्य करना।

य) चिकित्सा सम्बन्धित –

1. जनसामान्य को निःशुल्क एवं समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सालय एवं चल चिकित्सालय केन्द्रों की स्थापना करना एवं इन्हें संचालित करना।
2. दूर–दराज आदिवासी क्षेत्रों में संक्रामक बिमारीयों जैसे यौन रोग (एड्स आदि), क्षय, कुष्ठ, मानसिक रोग आदि रोगों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।
3. योगासन, ध्यानयोग एवं सहजयोग एंव मनोचिकित्सा के माध्यम से बच्चे, बडों एवं सभी आयुवर्ग के लोगों में व्यसन, नशेबाजी, मानसिक तनाव, अवसाद, मनोदैहिक विकार एवं कई अन्य प्रकार की मानसिक एंव योन संबधित बिमारीयों को दूर करने का प्रयास करना।
4. प्राकृतिक प्रकोप जैसे – अकाल, तूफान एवं बाढ़, भूस्खलन पीडितों को निःशुल्क चिकित्सा, भोजन आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
5. स्वच्छता अभियान हेतु गाँव–गाँव में कार्यक्रम संचालित करना गाँवों की चौपालों में सरकारी, गैर सरकारी विभागों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का का कार्य करना। स्वच्छता अभियान के तहत

सरकारी, गैर सरकारी अनुदान के जरिए सुलभ शौचालयों का निर्माण करना।

6. आयुर्वेदिक जडी बूटीयों एवं औषधियों का उत्पादन कर उनका संरक्षण करना एवं उनसे औषधी, पाऊडर, काढा, ज्यूस आदि का निर्माण कर जरूरतमंदों तक पहुँचाना। एवं इसका प्रशिक्षण देकर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
7 रक्तदान, नेत्रादान एवं अंगदान शिविरों का आयोजन कर लोगों को इस हेतु प्रेरित करना।
8. भेंटदाता एवं दानदाताओं के सहयोग एवं समिति कोष द्वारा गरीबों, रोगियों को निःशुल्क पौष्टिक आहार भोजन एवं वस्त्रा दवाईयाँ आदि उपलब्ध कराना।

र) सामाजिक सम्बन्धित –

1. परित्यकता, विधवा, जरूरतमंद महिलाओं के लिए विभिन्न निःशुल्क प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, पेच वर्क, निटिंग, बांसबेत, टेराकोटा एवं अन्य हेण्डीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल आर्ट आदि में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
2. परित्यावक्ता, विधवा एवं जरूरतमंद महिलाओं के पुनर्वास कि व्यवस्था करना एवं विभिन्न उद्योगों में निःशुल्क शिक्षित दान कर विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना एवं वयस्क होने पर उनका विवाह करवाना।
3. महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ब्यूटी पार्लर, मीनाकारी, सॉफ्ट टॉयज़ बनाने हेतु प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना कर रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उत्तम तथा सस्ता साहित्य एवं पत्रा–पत्रिाका उपलब्ध करवाने के लिए चल, अचल पुस्तकालय एवं ऑनलाइन पाठशाला की स्थापना करना एवं राष्ट्रीय हित एवं लोकहित के साहित्य का प्रकाशन करना।
5. विधवा विवाह, अंतर्जातिय विवाह एवं सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित एवं प्रचलित करने के लिए संस्थान स्तर पर प्रयास करना। वृद्धों, अशक्तों, निराश्रितों, निःसहायों, संतानहीनों एवं परित्यवक्ताओं के कल्याणार्थ कार्य करना उनके दवाइयों भोजन एवं वस्त्रा आदि की व्यवस्था करना।
6. अनाथ, असहाय, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टि से असक्षम आम नागरिकों के लिए अनाथ, बाल गृह, अपनाघर आदि स्थापित करना। उनके लिये अन्य जरूरतमंद सामग्री रोटी, कपड़ा और मकान की उपलब्ध करवाना।
7. निराश्रित एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों के सर्वांगिण विकास एवं अध्ययन हेतुछात्रावास, अध्ययन केन्द्र एवं अन्य कलात्मक कलाओं में समस्त आयु वर्गो को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण आदि की सुनिश्चित व्यवस्था करना। निःसहाय, असक्षम, बेसहारा, दिव्यांग, मूक बधिर, विशेष आवश्यकता वाले, निराश्रित बालक/बालिकाओं के लिए बालगृह एवं आश्रम की स्थापना करना।
8. विकलांग, मूक–बधिर अंधता, मानसिक अक्षमता आदि रोगों से ग्रस्त बालकों के शिक्षण – प्रशिक्षण व रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समाज कल्याण विभाग से जे. जे. एक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाकर कल्याणार्थ कार्य करना॥ बाल संरक्षण समिति से जुडकर बालक – बालिकाओं के कल्याणार्थ कार्य करना।
10. मूक बधिर, अंध रोग एवं दिव्यांग रोग से ग्रसित बालक–बालिकाओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित कर संचालित करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। शारीरिक एवं आर्थिक दृष्टि से असक्षम आम नागरिकों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना एवं निःशुल्क रोजगोरान्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न एवं आत्मनिर्भर बनाना।
11. सर्व दिव्यांगों के लिए सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों, विदेशी मुद्रा सहयोग राशि, निजी सहयोग एवं अन्य राजकीय संस्थानों से अनुदान एवं सहयोग प्राप्त कर उनकी क्षमता के अनुरूप प्रशिक्षण

केन्द्र व कॉलेज की स्थापना कर संचालन करना एवं उनको आत्मनिर्भर बनाना।

12. बाल श्रमिक एवं बन्धक मजदूरों के पक्ष में वातावरण तैयार करना एवं इस प्रथा का अन्त करने में सक्रिय प्रयास करना। बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा एवं मृत्युभोज के विरूद्ध वातावरण तैयार करना लोगों को जागरुक बनाना।

13. राजस्थान राज्य के जनजातियों द्वारा संग्रहित करने वाली उपजों के लिए प्रशिक्षण, संग्रहण एवं विपणन व्यवस्था कर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना।

14. जनजाति एवं आदिवासी समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर लाभ पहुंचाना।

ल) साहित्य एवं सांस्कृतिक सम्बन्धित –

1. प्राचीन साहित्य का संग्रह करना, रक्षा करना शोध कार्य करना, उनका अनुवाद करना, प्रकाशन करन शिक्षा पठन–पाठन की व्यवस्था करना तथा धार्मिक ज्ञान में विकास विस्तार के सभी कार्य करना।
2. भारतीय कला, लोक कला, संगीत एवं संस्कृति के अध्ययन शोध एवं शिक्षण प्रक्षिक्षण में योगदान देना। प्रत्येक त्यौहारों के ऐतिहासिक, भौतिक, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व से लोगों का अवगत कराते हुए वर्तमान वैधानिक जीवन के मूल्यों को प्रतिपादित करना।.
3. पर्यटन केन्द्रों की स्थापना करना एवं पर्यटकों को उक्त पुरातत्व के स्थानों की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करना एवं उनकी समस्याओं के निराकरण में सहयोग देना। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार लोगों का मानसिक विकास एवं रूचि जागृत करना।
4. सांस्कृतिक धरोहर एवं पुरातत्व महत्व के प्राचीन स्मारकों खण्डहरों भवनों एवं स्थानों का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर संरक्षण करना तथा इस क्षेत्रा में कार्यरत सभी व्यक्तियों संगठनों एवं राजकीय सहायता व सहयोग से उनका रख रखाव करना।
5. धर्मगुरूओं, साधुओं, साध्वियों के चरित्रा पालन में सहयोग करना, देख–रेख करना, सेवा सुश्रुष और उनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध करना व उनके निर्वहन, विहार की व्यवस्थाओं में सभी प्रकार का सहयोग करना।

व) निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धित –

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्राों में लघुउद्यमियों में सहकारिता की भावना के विकास के लिए जागरूकता पैदा करना ताकि वे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके।
2. हेण्डीक्राफ्ट, लेदर आदि कार्य के कार्य का निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवंमहिला एवं पुरूषों को आत्मनिर्भर बनाना। विभिन्न प्रकार से मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेना एवं महिला एवं पुरूषों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को उजागर करना एवं ट्राईफेड, हस्तशिल्प, टेराकोटा इत्यादी को प्रोत्साहन व स्थान उपलब्ध करवाना।
3. अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन, सर्फ, लिक्विड, परफ्यूम इत्यादी बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
4. परम्परागत भारतीय ज्ञान, ज्योतिष विद्या तथा हस्तकला की शिक्षा हेतु केन्द्र स्थापित करना।
5. जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को निःशुल्क भोजन, खाद्य सामग्री, वस्त्रा एवं आवश्यक सामग्री वितरीत करना।
6. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (CSR) के तहत विभिन्न सरकारी/निजी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ एवं व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना। उनके द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करना।
7. सडक सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों, संकेतों एवं सावधानियों के बारे में जागरूक करना एवं नुक्कड नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों की पालना से होने वाले

फायदों एवं उसकी पालना न करने पर होने वाली दुर्घटनाओं एवं नुकसान के बारे मे बताना।

8. सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता, कार्यशालाओं, रैलियों, पोस्टर, पेम्पलेट, नुक्कड नाटक 13 स्मार्ट सिटी एवं नवीन सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी व प्राइवेटाइजेशन के तहत चलने वाली योजनाओं में सहयोग लेना एवं आमजन को जागरूक करना।
9. संस्थान द्वारा प्राईवेट लिमिटेड/लिमिटेड प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन कर संस्थान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना।
10. वर्तमान परिपेक्ष में ऑनलाइन खरीब बिक्री के मद्देनजर मध्यमवर्गीय व्यापारी या स्वरोजगारी, आर्टिज़न कार्डधारी, लघु उधोग व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए आईटी. सेक्टर की स्थापना कर ई–कॉमर्स वेबसाईट उपलब्ध करवाना जिससे वे अपना उत्पाद बिना किसी कमीशन के सीधे उपभोक्ता तक पहुँचा सकते हैं एवं अधिक लाभान्वित हो सके।
11. इस संस्थान के उद्देश्यों के लाभार्थी (ठमदमपिबपंतपमे) किसी भी जाति, लिग, समूह विशेष के व्यक्ति नहीं होकर समाज के हर वर्ग के सदस्य होगें।
12. संस्थान की संपंति एवं संचित कोष, संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही उपयोग में लिया जावेगा।
13. यह कि संस्थान का काल अटलत(मअवबंइसम) है।
14. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं प्रोजेक्ट के माध्यम से वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी कार्य करना।

संस्था का विजन –

संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र गरीब, वंचित एवं पिछड़े वर्गों को आगे लाने हेतु उनकी खोज करना। इनको राष्ट्र के विकास की धारा से जोड़ने को लेकर दीर्घकालीन योजनओं कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर उनको अपने स्थानीय संसाधनों के प्रति जागरूक कर प्रबंधन क्षमता के आधार पर शोषण रहीत समाज की रचना एवं निर्माण करना है।

संस्थान का मिशन –

संस्थान अन्यन्त दुगर्म शहरों एवं गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार, व्यावसायिकप्रशिक्षण, जनचेतना शिविर एवं मंनोरंजन आदि की रचनात्मक प्रवृतियों के द्वारा ग्रामीण समुदाय विशेषकर पिछड़े एवं निर्धन वर्गों की सेवा करते हुए समुदाय को अपने स्थानीय संसाधनों के प्रति जागरूक करते हुए शोषण रहित समाज की रचना एवं निर्माण करना है।

रणनीति –

- ☐ संस्थान सभी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में महिलाओं का सशक्तिकरण एंव विकासात्मक की भूमिका को बढ़ाने की प्रक्रिया के अवसर पैदा करेगी।
- ☐ आयोजना, निर्णय एवं क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का कार्य करेगी।
- ☐ संस्थान लोक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तीयों, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर गांव एवं फला स्तर से प्रभावित भू–भाग पर संगठन बनाने का कार्य करेगी।
- ☐ संस्थान समाज विचारधाओं वाली संस्थाओं, जनसंगठनों और व्यक्तियों के साथ जोड़ने हेतु गठबंधन करेगी।
- ☐ स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय नेतृत्व की पहचान करके अनमें व्याप्त क्षमताओं का विकास करेगी।
- ☐ आदिवासी समुदाय के साथ उनके संसाधनों पर नियंत्रण एवं प्रबंध में भूमिका बढ़ाने के अवसर पैदा कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक बनेगी।
- ☐ संस्थान मुख्य रूप से महिलाओं की क्षमता से अधिक भागीदारी बढ़ाने को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों एंव योजनाओं के निर्माण में महिलाओं के विकास पर जोर देगी।

संचालित कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ

वेस्ट से बेस्ट अभियान

संस्थान अध्यक्ष श्री सी पी सालवी द्वारा वेस्ट से बेस्ट अभियान की शुरूआत की गई। वेस्ट से बेस्ट अभियान के तहत मातृत्व सेवा संस्थान द्वारा उदयपुर जिले में गरीब एवं वंचित वर्ग जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से सटे हुए गांव, कस्बों एवं कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं रोजगारोन्मुखी, गतिविधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं से जोडकर उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए जागरूक किया जायेगा एवं उनकी

आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जायेगा। हमारी संस्था द्वारा इस हेतु अनेक योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है। जिनमें से कुछ योजनाएँ इस प्रकार हैं:– शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में सर्वे, रोड सेफ्टी, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण सुरक्षा, महिला जागरूकता शिविर, चिकित्सा, उज्जवला

योजना, श्रमिक कार्ड, भामाशाह कार्ड, महिला प्रशिक्षण केन्द्र, हस्तकला, अचार–मसाला, पापड उद्योग, निःशुल्क तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयं सहायता समूह संचालन व ऐसी अनेक योजनाएं सम्मिलित हैं, इन्हीं कार्यक्रमों के अन्तर्गत संस्था द्वारा एक नई योजना का संचालन किया गया जिसका नाम वेस्ट से बेस्ट अभियान है। इसमें घर, अस्पताल, कल–कारखानों आदि से अनुपयोगी सामग्री को एकत्र कउनका महिलाओं द्वारा पुनः निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए प्लास्टिक,

कागज, फूल–पत्तियाँ आदि अनुपयोगी सामग्री का प्रयोग कर अगरबत्ती, पत्तल–दोने, बिन्दी, कागज की पेन्सिल, बैग, थैलियां आदि का निर्माण किया गया। हमारी संस्था का प्रथम उद्देश्य यही है कि इस कार्यक्रमे अन्तर्गत महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले जिससे वे आत्मनिर्भर बन गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके

मातृत्व सेवा सहायता अभियान

मातृत्व सेवा सहायता अभियान के तहत् संस्थान द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक, कागज, न्यूज पेपर,

रद्दी इत्यादि को घर-घर जाकर एवं दुकानों से लाया जाकर एकत्रित किया गया। उन सभी एकत्रित वस्तुओं को संस्थान में एक की स्थान पर लाकर संग्रहित किया गया एवं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह तैयार किये गये।

उन सभी अनुपयोगी वस्तुओं को पुनः नये रूप में उपयोग करने हेतु उन्हें फिर से कैसे तैयार किया जाए इसका प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया। जिससे जुडकर बहुत सारी महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं अनुपयोगी वस्तुओं को पुनः नया रूप दिया जैसे कि कागज की थैलियां, कागज के बैग एवं अन्य नवीन रूप उस वस्तु के अनुरूप तैयार किये गये। उन नवीन रूपों के लिए वस्तुओं को बाजार में दुकानदारों एवं जहां उन वस्तुओं का उपयोग हो सके वहां बिक्री के लिए दी गई। इस अभियान के जरिए महिलाओं को आर्थिक सम्बल मिला एवं स्वरोजगार से जुडकर महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ करने में सक्षम हुई।

निःशुक वस्त्राएवं भोजनवितरण

संस्थान द्वारा समय–समय पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों

को निःशुल्क वस्त्रा एवं भोजन वितरण किया जाता रहा है। इसके तहत् संस्थान द्वारा झाडोल मेंगरीब बच्चों एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वस्त्रा वितरण किया गया

है। संस्थान के कार्यालय पर भी यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति आ जाये तो संस्थान द्वारा उसकी यथासंभव मदद की जाती है चाहे वो भोजन हो या वस्त्रा वितरण, संस्थान हर जरूरतमंद की मदद हेतु हमेशा तत्पर रहती है व अपनी क्षमतानुसार उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहती है।

संस्थान का यही ध्येय है कि संस्थान से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मायूस अथवा खाली हाथ वापिस ना लौटे।

हस्तशिल्प कल्याणार्थ

मातृत्व सेवा संस्थान विगत 5 वर्षों से हस्तशिल्प के क्षेत्रमें कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्यकुल 8 जिलों में सर्वे कर ऐसे हस्तशिल्पियों की खोज करना है जो कि हस्तशिल्प कला के साथ जुडे हुए हैं अथवा हस्तशिल्प का कार्य कर रहे हैं। संस्था ऐसे हस्तशिल्पियों के उत्थान एवं विकास हेतु कुछ करना चाहती है जिनके पास हुनर तो है लेकिन वे अपने उत्पाद या कला को आगे नहीं ले जा प रहे हैं। संस्था ऐसे हस्तशिल्पियों को एक मंच प्रदान करना चाहती है जहाँ वे अपनी कला एवं उत्पाद को देश–विदेश में प्रसिद्ध कर सकें। संस्था ऐसे हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित कर उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें उनकी कलाका ए विकास हेतु जागरूक करेगी। जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकेसंस्थान द्वारा समय–समय पर ऐसे हस्तशिल्पियों की खोज कर उन्हें आर्टिजन कार्ड के बारे में जानकारी दी जाती है एवं उनके आर्टिजन कार्ड के फॉर्म भरवाकर उन्हें कार्ड बनाने के लिए केन्द्र सरकारको भेजे जाते हैं ताकि उन कार्ड के माध्यम से हस्तशिल्पी अपनी कला को अधिक से अधिक बढावा दे सकें एवं कार्ड से मिलने वाली सहायता एवं फायदे का लाभ उठा सकें

वन–धन विकास केन्द्र की स्थापना

संस्थान द्वारा झाडोल के बाघपुरा क्षेत्रा में जाकर सर्वे किया गया एवं वहां महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाओं का पंजीयन सरकारकी ऑनलाईन पोर्टल पर किया गयाएवं जो महिलाएं किसी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुडी हैं उन्हें भी नये समूह बनाकर इस योजना से जोडा गया है जिससे कि सरकार द्वारा वन धन विकास केन्द्र की योजना को क्रियान्वित किया जा सकेइस योजना के तहत् महिलाओं कोफसलों के विभिन्न उपयोगों के बारे में प्रशिक्षण दिया जायेगाएवं नई तकनीक से फसलों की पैदावार को कैसे बढाया जा सकता है एवं उससे क्या फायदे होसकते हैं के बारे में जानकारी दी जायेगी। इस योजना के तहत 20महिला स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जा रहा है। इसके के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह गांवबाघपुरा, झाडोल, जिला–उदयपुर में संचालित किए जा रहे है। समूह संचालन हेतु ग्राम स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया एवं सन्दर्भ व्यक्ति एवं सन्दर्भ सामग्री द्वारास्रामीण

महिला–पुरूषों को तैयार किया गया साथ ही संस्थान अध्यक्ष श्री सी पी सालवी द्वारा स्वयं सहायता समूह के गठन के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि यदि महिलाएँ समूह बनाकर स्वयं सहायता समूह का निर्माण करें तो इससे होने वाली बचत से अपने जीवन में आने वाली समस्या के दौरान इस समूह की राशि से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती है। साथ ही निर्मित स्वयं सहायता समूह के लेखा–जोखों के संधारण के बारें में सन्दर्भ सामग्री द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इस समूह का प्रारंभ संस्थान द्वारा जनवरी से किया गया। इन समूहो का संचालन करने के लिए समूह स्तर पर अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष को नियुक्ति किया गया है। जो इन समूहों को देख–रेख एवं लेन–देन का काम देखती है। संस्थान द्वारा छः माह पश्चात् इन समूहो को गांव के नजदीक सरकारी बैंक द्वारा खाता खुलवा कर जोड़ दिया जायेगा।

मासिक ग्राम बैठक

संस्थान द्वारा प्रत्येक माह कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत बाघपुरा एवं फला स्तर पर मासिक ग्राम बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में मुख्य रूप से गांव के विकास को लेकर चर्चाएं कि गई। गांव का विकास किस तरह स्थानीय संसाधनों का उपयेाग कर किया जाए पर सभी ग्रामवासियों एंव संस्थान प्रतिनिधियों द्वारा आपस में चर्चा कर कार्यो के प्रति निर्णय लेकर किया। बैठक में आपसी संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए महिलाओं के विकास को लेकर कार्यक्रम एवं गतिविधियों के संचालन करने पर चर्चा की गई। गांव में सभी स्तर के प्रतिनिधि जमीनी स्तर से लेकर बालक–बालिकाओं हेतु शिक्षा एवं पर्यावरण सुधार के साथ–साथ उन्नत कृषि विकास को लेकर आपसी चर्चा की गई। समय–समय पर सरकारी कार्यक्रमों में पंचायत स्तर पर ग्रामवासियों की पूरी–पूरी भागीदारी पर जोर दिया गया। वर्तमान में चल रहे पंचायतीराज सशक्तिकरण के तहत पंचायतीराज को और अधिक मजबूतीकरण किस तरह किया जाए पर सभी ने अपनी–अपनी राय को रखा। प्रत्येक मासिक ग्राम बैठकों में सम्पूर्ण गांव के अधिक से अधिक महिला–पुरूषों एवं पंचायत स्तर प्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

प्रगति प्रतिवेदनलेखन
मातृत्व सेवा संस्थान, उदयपुर